

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :- प.19 (6) सा.प्र/ग्रुप-4/12

जयपुर, दिनांक 7-9-12

मुख्य अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- छठवीं एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत, निम्नांकित छठवीं एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु 14.97 (अक्षरे चौदह लाख सत्तानवे हजार रुपये मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क.सं.	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1	एच-502, गांधीनगर	1.ए.सी. शीट 2.टाईलेट रिनोवेशन	0.21 0.20	0.41
2	एच-506 गांधीनगर	1.मैट टाईल्स 2.कोटा स्टोन 3.एम.एस. डोर	0.21 0.13 0.04	0.38
3	एच-512 गांधीनगर	1.ए.सी. शीट 2.मैट टाईल	0.21 0.07	0.28
4	एच-516 गांधीनगर	1. ए.सी शेड 2. टाईल फर्श 3. स्टील विन्डो 4. एम.एस डोर	0.21 0.07 0.04 0.04	0.36
5	एच-518 गांधीनगर	1. सीसी फर्श 2. किचन रिनोवेशन 3. टाईलेट रिनोवेशन	0.03 0.15 0.20	0.38
6	एच-543 गांधीनगर	1. टाईलेट रिनोवेशन 2. किचन रिनोवेशन 3. एम.एस डोर	0.20 0.06 0.05	0.31
7	एच-544 गांधीनगर	1. मैट टाईल 2. एम.एस डोर 3. किचन रिनोवेशन	0.24 0.08 0.15	0.47
8	एच-562 गांधीनगर	1.टाईलेट रिनोवेशन 2.ए.सी. शीट	0.20 0.24	0.44
9	एच-563 गांधीनगर	1.टाईलेट रिनोवेशन 2.किचन रिनोवेशन 3.मैट टाईल्स	0.15 0.13 0.20	0.48
10	एच-566 गांधीनगर	1. टाईलेट रिनोवेशन 2. जाली डोर 3. ए.सी शीट	0.20 0.05 0.21	0.46
11	एच-570 गांधीनगर	1. मैट टाईल 2. किचन रिनोवेशन 3. कोटा स्टोन	0.20 0.15 0.10	0.45
12	एच-572 गांधीनगर	1. टाईल फर्श 2. ए.सी शेड	0.21 0.21	0.42

13	एच-573 गांधीनगर	1. मेट टाईल 2. ए.सी शेड 3. मेन गेट	0.21 0.20 0.05	0.46
14	एच-580 गांधीनगर	1. चारदीवारी 2. किचन रिनोवेशन	0.11 0.20	0.31
15	एच-585 गांधीनगर	1. किचन रिनोवेशन 2. टाईलेट रिनोवेशन 3. टाईल फर्श	0.15 0.15 0.18	0.48
16	एच-590 गांधीनगर	1. टाईलेट रिनोवेशन 2. टाईल फर्श 3. किचन रिनोवेशन	0.15 0.18 0.15	0.48
17	एच-594 गांधीनगर	1. टाईलेट रिनोवेशन 2. किचन रिनोवेशन 3. चारदीवारी	0.20 0.15 0.11	0.46
18	एच-595 गांधीनगर	1. ए.सी शीट 2. टाईल कार्य 3. जाली डोर	0.21 0.21 0.05	0.47
19	एच-599 गांधीनगर	1. मेट टाईल 2. टाईलेट रिनोवेशन 3. किचन रिनोवेशन	0.18 0.15 0.15	0.48
20	एच-653 गांधीनगर	1. टाईल कार्य 2. ए.सी शेड	0.18 0.21	0.39
21	एच-655 गांधीनगर	1. टाईलेट रिनोवेशन 2. मेट टाईल	0.20 0.25	0.45
22	एच-660 गांधीनगर	1. ए.सी शेड 2. टाईलेट रिनोवेशन 3. जाली डोर	0.21 0.20 0.04	0.45
23	एच-663 गांधीनगर	1. ए.सी शीट 2. एम.एस डोर 3. जाली डोर	0.21 0.03 0.05	0.29
24	एच-668 गांधीनगर	1. मेट टाईल्स 2. एम.एस.डोर 3. किचन रिनोवेशन	0.21 0.04 0.20	0.45
25	एच-861 गांधीनगर	1. मेट टाईल 2. टाईलेट रिनोवेशन 3. जाली डोर	0.21 0.20 0.05	0.46
26	एच-871 गांधीनगर	1. ए.सी शीट 2. फ्लश डोर 3. टाईलेट रिनोवेशन	0.21 0.08 0.20	0.49
27	एच-873, गांधीनगर	1. टाईलेट रिनोवेशन 2. किचन रिनोवेशन	0.20 0.15	0.35
28	एच-875 गांधीनगर	1. सी.सी फर्श 2. किचन रिनोवेशन 3. टाईलेट रिनोवेशन	0.06 0.15 0.20	0.41
29	एच-876 गांधीनगर	1. मेट टाईल्स 2. किचन रिनोवेशन 3. चारदीवारी	0.20 0.15 0.13	0.48
30	एच-880 गांधीनगर	1. टाईलेट रिनोवेशन 2. किचन रिनोवेशन 3. स्टील विन्डो	0.20 0.15 0.04	0.39
31	एच-889 गांधीनगर	1. टाईल कार्य 2. टाईलेट रिनोवेशन 3. ए.सी शेड	0.06 0.20 0.14	0.40
32	एच-891 गांधीनगर	1. ए.सी. शीट 2. किचन रिनोवेशन	0.21 0.15	0.36

33	एच-905 गांधीनगर	1.मैट टाईल्स 2.किचन रिनोवेशन	0.24 0.15	0.39
34	एच-910 गांधीनगर	1. रफ कोटा स्टोन 2. टाईलेट रिनोवेशन 3. किचन रिनोवेशन	0.06 0.20 0.15	0.41
35	6/5 गांधीनगर	1. मैट टाईल 2. किचन रिनोवेशन 3. टाईलेट रिनोवेशन	0.12 0.15 0.20	0.47
36	6/7 गांधीनगर	1.टाईलेट रिनोवेशन 2.किचन रिनोवेशन	0.20 0.15	0.35
		कुल योग रुपये		14.97

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800-अन्य व्यय (01) निर्माण [5] पंचम एवं छठवीं श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावे कि संबंधित आवासों में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर समस्त आवासियों से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE (B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Sd

उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-III, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली

उप शासन सचिव (क)